

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,  
संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना /मुजफ्फरपुर।  
पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, पटना/मुजफ्फरपुर /पूर्णियाँ /छपरा/  
बेगूसराय/मोतिहारी /डालमियानगर (रोहतास)/भागलपुर ।

पटना, दिनांक- 23-1-19

**विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के शेष बचे माह में आवंटन की अधियाचना हेतु दिशा निर्देश के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत वेतनादि एवं अन्य मदों में आवंटन की मांग की गयी है। सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों से प्राप्त कार्यालय के स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल के सूचना के आधार पर पूरे वित्तीय वर्ष 2018-19 का आवंटन प्रेषित किया जा चुका है परन्तु फिर भी अनेक कार्यालयों से अतिरिक्त राशि की मांग से संबंधित पत्र लगातार प्राप्त हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु संपूर्ण राशि का आवंटन प्रेषित किये जाने के बावजूद भी राशि किस प्रकार कम हुई, का उल्लेख नहीं रहने के कारण आवंटन निर्गत करने में कठिनाई हो रही है।

अतः निदेशानुसार कहना है कि आवंटन की मांग से संबंधित पत्रों में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख करते हुए राशि की मांग की जाय-

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यालय के स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की सूचना संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम सहित एक माह के वेतन के साथ पुनः उपलब्ध कराया जाय। सूचना विपत्र कोड के अनुसार अलग-अलग संलग्न विहित प्रपत्र में ही होना चाहिए।
- कार्यालय के स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की सूचना वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए अलग-अलग होना चाहिये।
- संलग्न प्रपत्र में अंकित पदनाम के विरुद्ध एक ही उपशीर्ष में अगर एक से अधिक पदाधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हो तो उनकी सूचना अलग-अलग उपलब्ध करायी जाय ।
- उक्त सूचना में प्रत्येक पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, कोटि, वेतन, जीवनयापन भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, परिवहन भत्ता एवं अन्य भत्ता का अलग-अलग उल्लेख करते हुए एक माह का वेतन की गणना की जाय ।
- जीवनयापन भत्ता की गणना वर्तमान दर पर की जाय ।
- अगर किसी पदाधिकारी एवं कर्मचारी के बकाया वेतन की मांग की जा रही है तो संबंधित दस्तावेज संलग्न करते हुए आवंटन की मांग की जाय।

- चिकित्सा, दूरभाष, किराया, विधि प्रभार, विद्युत, यात्रा मद एवं अन्य किसी भी मद में अगर राशि की मांग की जा रही है तो संबंधित विपत्र संलग्न कर के ही राशि की मांग की जाय। किराया मद से संबंधित अधियाचना पत्रों में विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय के भुगतान से संबंधित स्वीकृत्यादेश एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत भवन अनुपलब्धता प्रमाण पत्र संलग्न रहना चाहिए।
- कार्यालय के बर्दीधारी एवं संविदा कर्मियों की सूचना संलग्न प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाय।

यह पत्र एवं संलग्न सभी प्रपत्र विभागीय वेबसाइट <http://labour.bih.nic.in> पर उपलब्ध है।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाय।

अनुलग्नक- कार्यरत बल एवं स्वीकृत बल से संबंधित प्रपत्र एवं बर्दीधारी/संविदा कर्मियों की सूचना से संबंधित प्रपत्र ।

विश्वासभाजन

22/1/19  
(वीरेन्द्र कुमार)

संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक-06/बी3-101/2018 श्र0सं0-

362

पटना, दिनांक- 23-1-19

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति सहित आईटीएमनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/1/19  
(वीरेन्द्र कुमार)

संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।

कार्यालय में स्वीकृत/कार्यरत बल की सूचना की विवरणी

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार

उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-

लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध

उप शीर्ष-0006-श्रम कानूनों का प्रवर्तन तथा प्रशासन

विपत्र कोड-26-2230011010006

पदो का वर्गीकरण समूह A,B,C,D	पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम	पदनाम	वित्तीय वर्ष-		वेतनमान	वेतन 0101	जीवन यापन भत्ता 0103	मकान किराया भत्ता 0104	परिवहन भत्ता 0105	चिकित्सा भत्ता 0106	अन्य भत्ता 0107	महीने में कुल उपलब्ध	अभ्युक्ति	
			पदों की संख्या											
			कुल स्वीकृत बल	कुल कार्यरत बल										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	
		पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक												
		पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय												
		संयुक्त श्रमायुक्त												
		योजना पदाधिकारी												
		उप श्रमायुक्त												
		सहायक श्रमायुक्त												
		श्रम अधीक्षक												
		विशेष पदाधिकारी (कार्या0 एवं मु0)												
		विशेष पदाधिकारी (मोनिटरिंग)												
		सहायक												
		टंकक												
		आशुलिपिक												
		लिपिक												
		चालक												
		अनुसेवक												
		<b>कुल योग</b>												

कार्यालय का नाम:-

ज्ञापांक-

दिनांक

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

